

बिहार सरकार  
सामान्य प्रशासन विभाग

॥ अधिसूचना ॥

पटना-15, दिनांक- 16/11/11

संख्या -3/एम-75/2008 सां० 3468 / भारत संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली, 1976 में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं-

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ ।-

(1) यह नियमावली बिहार सरकारी सेवक आचार (संशोधन) नियमावली, 2011 कही जाएगी।

(2) इसका विस्तार प्रत्येक ऐसे व्यक्ति तक होगा जो बिहार राज्य के कार्यों से संबंधित किसी सिविल सेवा में या किसी पद पर नियुक्त हो और जो सरकार की नियम विधायी शक्तियों के अधीन हो।

(3) यह तुरत प्रवृत्त होगी।

2. बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली, 1976 के नियम-12 के बाद नया नियम-12-क जोड़ा जाना ।- उक्त नियमावली के नियम- 12 के बाद एक नया नियम 12-क निम्नानुसार जोड़ा जाएगा-

"12-क. प्रत्येक सरकारी सेवक, अपने ऊपर सौंपे गये कर्तव्यों के सदभावपूर्वक पालन के प्रयोजनार्थ जनता में से किसी को या किसी संस्था को पूर्ण एवं सही जानकारी, जिसका खुलासा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत किया जा संकत हो, का संसूचन करेगा।

स्पष्टीकरण- इस नियम के प्रावधानों का यह अर्थ कदापि नहीं लगाया जायेगा कि किसी वर्गीकृत सूचना का किसी अप्राधिकृत रूप में अथवा किसी सरकारी सेवक या अन्य को अनुचित लाभ के लिए संसूचन की अनुमति दी गई है।"

3. बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली, 1976 के नियम-14 के उपनियम (2), उपनियम (3) एवं उपनियम (4) में संशोधन ।-

उक्त नियमावली के नियम-14 में जहाँ-जहाँ अंकों एवं शब्दों में क्रमशः "500/- रु०(पाँच सौ)", "200/- रु०(दो सौ रुपये)", "75/- रु०(पचहत्तर रुपये)" एवं "25/- रु०(पचीस रुपये)" का प्रयोग हुआ है वहाँ-वहाँ उसे अंकों एवं शब्दों क्रमशः "15000/- रु० (पंद्रह हजार रुपये)", "6000/- रु० (छह हजार रुपये)", "3000/- रु० (तीन हजार रुपये)" एवं "1500/- रु० (एक हजार रुपये)" से प्रतिस्थापित किया जायेगा।

4. बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली, 1976 के नियम-19 में संशोधन ।-

(i) उक्त नियमावली के नियम-19 के उपनियम (1) में शब्द समूहों 'हरेक बारह मासों के अंतराल पर' के बाद और शब्द-समूहों 'अपनी आस्तियों एवं दायित्वों' के पूर्व, शब्द-समूहों 'अर्थात् 31 दिसम्बर के बाद 28/29 फरवरी तक' को अंतःस्थापित किया जायेगा।

(ii) उक्त नियमावली के नियम-19 के उपनियम (3) को निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जायेगा:-

“(3) प्रत्येक सरकारी सेवक, सभी ऐसे संव्यवहार के संबंध में, जिसका मूल्य सरकारी सेवक के दो माहों के मूल वेतन जोड़ ग्रेड-वेतन से अधिक हो, ऐसे संव्यवहार के पूर्ण होने के एक माह के अन्दर सरकार को जानकारी देगा;


परन्तु यह कि यदि ऐसा कोई संव्यवहार किसी ऐसे व्यक्ति के साथ हो जिसका सरकारी सेवक के साथ पदीय कारबार चलता हो तो सरकार की पूर्व मंजूरी ली जायेगी।”

(iii) उक्त नियमावली के नियम-19 के उपनियम (1) की टिप्पणी (2) तथा उपनियम (5) के स्पष्टीकरण के खंड (क) में अंक एवं शब्द “1000/- रु० (एक हजार रुपये)” को अंक एवं शब्दों “30,000/- रु० (तीस हजार रुपये)” से प्रतिस्थापित किया जायेगा।

(iv) उक्त नियमावली के नियम 19 के उपनियम (7) के बाद निम्नलिखित एक नया उपनियम (8) जोड़ा जाएगा-

“(8) वांछित विवरणी समय पर नहीं समर्पित करने वाले सरकारी सेवक का वेतन भुगतान, सरकार या विहित प्राधिकारी विवरणी समर्पित करने तक रोक सकेंगे। समय पर विवरणी नहीं समर्पित किया जाना, अपने सरकारी कर्तव्य पालन में गम्भीर कदाचार माना जाएगा जिसके लिए वह विभागीय कार्यवाही का दायी होगा।”

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

  
(नवीन चन्द्र झा)

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञाप संख्या -3/एम-75/2008 सा०.....**3468**/

पटना, दिनांक **16/11** 2011

प्रतिलिपि- अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, गलजारबाग, पटना को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

  
16-11-11


(नवीन चन्द्र झा)

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञाप संख्या -3/एम-75/2008 सा०.....**3468**/

पटना, दिनांक **16/11** 2011

प्रतिलिपि :- सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

  
16-11-11

(नवीन चन्द्र झा)

सरकार के संयुक्त सचिव।




बिहार सरकार  
सामान्य प्रशासन विभाग

अधिसूचना

पटना-15, दिनांक- 16/11/2011 2011

संख्या -3/एम-75/2008 सां० 3469/ अधिसूचना संख्या 3468 दिनांक 16/11/11 का  
निम्नलिखित अँगरेजी अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से एतद द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो  
भारत-संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड(3) के अधीन अँगरेजी भाषा में इसका प्राधिकृत पाठ समझा  
जायेगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

  
16/11/11  
(नवीन चन्द्र झा)  
सरकार के संयुक्त सचिव।

Government of Bihar  
General Administration Department

NOTIFICATION

No. 3/M-75/2008...3468/ In exercise of powers conferred by proviso to Article 309  
to the constitution of India, The Governor Bihar is pleased to make following Rules to amend the  
Bihar Government Servants Conduct Rules, 1976 -


- 1. Short title, extent & commencement.**— (1) These Rules may be called “Bihar Government Servant Conduct (Amendment) Rules, 2011.  
(2) These Rules shall apply to every person appointed to a Civil Service or post in connection with the affairs of the state of Bihar and who are subject to Rules making powers of the Government.  
(3) It shall come into force at once.
- 2. Addition of a new Rule 12-A after Rule-12 of Bihar Government Servants Conduct Rules, 1976-** In the said Rules, after rule-12, the following new rule 12-A shall be added “12-A”. Every Government servant shall, in performance of this duties in good faith communicate to a member of public or any organization full and accurate information, which can be disclosed under the Right to Information Act, 2005.  
**Explanation.**- “ Nothing in this rule shall be considered as permitting communication of classified information in an unauthorized manner or for improper gains to a Government servant or others.”
- 3. Amendment in sub-rule(2), sub-rule(3) and sub-rule(4) of Rule-14 of the Bihar Government Servants Conduct Rules, 1976.-** In the said Rules, in rule 14 wherever the figures and words as “Rs. 500/-(Five hundred)”, “Rs. 200/-(Two hundred)”, “Rs. 75/-(Seventy five)” and “Rs. 25/-(Twenty five)”, respectively been used, shall be substituted by

the figures and words “₹ 15,000 (Fifteen thousand)”, “₹ 6,000 (Six thousand)”, “₹ 3,000 (Three thousand)” and “₹ 1,000 (One thousand)”, respectively.

**4. Amendment in rule 19 of the Bihar Government Servants Conduct Rules, 1976.-**

- (i) In said Rules, in sub-rule (1) of rule-19, after the group of words “at the interval of every twelve months” and before the group of words “submit to the”, the group of words, i.e. after 31<sup>st</sup> December till 28/29<sup>th</sup> February,” shall be inserted.
- (ii) In the said Rules, sub-rule (3) of rule 19 shall be substituted by the following:-  
“(3) Every government servant shall intimate the Government in respect of each transaction, whose value exceeds two months basic pay plus grade pay of the government servant within a month of the completion of such transaction;  
Provided that, the previous sanction of the Government shall be obtained if any such transaction is to be done with a person having official dealings with a government servant.”
- (iii) In the said Rule, in the note-(II) of sub-rule (1) and part (a) of the explanation of sub-rule(5) of Rule 19 the figure and word Rs. 1000/-(One thousand) shall be substituted by the figure and word ₹ 30,000(Thirty thousand).
- (iv) **In the said rule the following new sub rule (8) will be added after sub rule(7)-**  
“(8) The Government or the prescribed authority may stop the salary of the Government Servant not submitting the required return on time till he/she submits the return. Not submitting the return on time will be construed as grave misconduct in discharge of his/her duty for which he/she will be liable for departmental proceedings.”

By the order of the Governor of Bihar




( Navin Chandra Jha)

Joint Secretary to Government

ज्ञाप संख्या -3/एम-75/2008 सा० 3469/

पटना, दिनांक 16/11/2011

प्रतिलिपि- अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।



(नवीन चन्द्र झा)

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञाप संख्या -3/एम-75/2008 सा० 3469/

पटना, दिनांक 16/11/2011

प्रतिलिपि :- सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।



(नवीन चन्द्र झा)

सरकार के संयुक्त सचिव।